भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

संयुक्त सचिव
टेली फैक्स: 23710199

नई दिल्ली.....1 अप्रैल, 2015

डीडीओ न. 41/1/2015 आरई

मान्यवर,

जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने हाल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) को स्वीकृति दी थी। जहां डीडीयूजीजेवाई का उद्देश्य स्वीकृत दिशानिर्देशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था, उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना, हर स्तर पर मीटर लगाना और ग्राम विद्युतीतरण है, वहीं आईपीडीएस का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लिए उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना, ट्रांसफार्मर्स/उपभोक्ताओं के लिए होने वाले वितरण की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र को आईटी कुशल बनाना है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सभी को निर्बाध और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है। इन योजनाओं के व्यापक दिशानिर्देशों में नोडल एजेंसी के पास डीपीआर्स जमा करते समय संसद सदस्य सहित जन प्रतिनिधियों और हर यूटिलिटी के साथ परामर्श से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपना भी शामिल है।

2. जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए यह महसूस किया गया कि नियमन से कार्यान्वयन और नियमित निगरानी के पूरे जीवनकाल के दौरान परियोजना से जनप्रतिनिधियों को जोड़े रखने के लिए एक जिला स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए।

3. इस क्रम में यह अनुरोध किया जाता है कि हर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित को मिलाकर तत्काल एक 'जिला विद्युत समिति' अधिसूचित की जानी चाहिएः-

| | | |
|---|---|---|
| (1).जिले के सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य | - | अध्यक्ष |
| (2).अन्य संसद | - | उपाध्यक्ष |
| (3). जिलाधिकारी | - | संयोजक |
| (4). जिला पंचायत अध्यक्ष/सभापति | - | सदस्य |
| (5). जिले के विधायक | - | सदस्य |

(6). यदि संबंधित जिले में विद्युत, कोयला और एनआरई मंत्रालय का सीपीएसयू स्थित हो तो उसके सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि - सदस्य
(7).संबंधित डिस्कॉम के सीई/अधीक्षण अभियंता -सदस्य सचिव



3 महीने में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर समिति की बैठक होगी। समिति डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श करेगी और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। समिति विद्युत आपूर्ति और ग्राहर संतुष्टि की समीक्षा भी करेगी और ऊर्जा कुशलता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देगी। बैठक के विवरण को संयोजक द्वारा जारी किया जाएगा।

4. आवश्यक बैठकें हों और नोडल एजेंसी यानी आरईसी एवं पीएफसी (जो भी हों) को तिमाही रिपोर्ट भेजी जाएं, यह सुनिश्चित करना सदस्य सचिव की जिम्मेदारी होगी।

5. इसलिए मैं इस मामले में आपसे व्यक्तिगत दखल देने का अनुरोध करता हूं, जिससे प्राथमिकता के आधार पर उक्त समिति का गठन हो सके और वह काम चालू कर सके।

सादर,

भवदीय,
(बी. एन. शर्मा)

प्रेषित,
सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा)/
प्रमुख सचिव (ऊर्जा)/सचिव (ऊर्जा)

(संलग्न सूची के मुताबिक)